

23
-117

पुस्तकालय
केन्द्र, दिल्ली
विश्वविद्यालय
पुस्तकालय
पुस्तकालय
पुस्तकालय
पुस्तकालय

1. गरवर रेबारी पिता सादूल रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
2. जम्मु पत्नी गरवर रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. माधु रेबारी पिता हुकमा रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कालू पिता ब्रदीलाल रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
3. शम्भु पिता ब्रदीलाल रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
4. सुडी बेवा ब्रदीलाल रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
5. शंकर लाल पिता जगरूप रेबारी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक भाई शंकर रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
6. खेमराज पिता जगरूप रेबारी, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक भाई शंकर रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
7. सांवत पिता नगजी रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
8. भंवर पिता नंगा रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
9. सादूल पिता नंगा रेबारी, निवासी पाबूनगर, जागदरी तहसील व जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 23.06.2017


प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 09.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जागदरी, पटवार हल्का जागदरी, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 257/3 रकबा 00-05 बीघा, आराजी नं० 264/3 रकबा 0-10 बीघा, आराजी नं० 825/3 रकबा 0-04 बीघा, आराजी नं० 836/2 रकबा 0-04 बीघा कुल कित्ता 04 कुल रकबा 01-03 बीघा एवं आराजी नं० 251/1 रकबा 0-18 बीघा, एवं आराजी नं० 256/2 रकबा 0-07 बीघा, आराजी नं० 258/2 रकबा 0-05 बीघा, आराजी नं० 832 रकबा 0-04 बीघा, आराजी नं० 834 रकबा 0-08 बीघा कुल कित्ता 04 रकबा 1-05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षी संख्या 01 से 10 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेश नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम जागदरी, पटवार हल्का जागदरी, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 257/3 रकबा 00-05 बीघा, आराजी नं० 264/3 रकबा 0-10 बीघा, आराजी नं० 825/3 रकबा 0-04 बीघा, आराजी नं० 836/2 रकबा 0-04 बीघा कुल कित्ता 04 कुल रकबा 01-03 बीघा एवं आराजी नं० 251/1 रकबा 0-18 बीघा, एवं आराजी नं० 256/2 रकबा 0-07 बीघा, आराजी नं० 258/2 रकबा 0-05 बीघा, आराजी नं० 832 रकबा 0-04 बीघा, आराजी नं० 834 रकबा 0-08 बीघा कुल कित्ता 04 रकबा 1-05 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 400/- अक्षरे चार सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 23.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।


 (रा. सी. नं. 38/2017)